

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रतन कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65/2020 निगरानी

कैलाश चन्द्र आत्मज छीतर लाल बलाई  
निवासी – बिजौलिया खुर्द तहसील  
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

- बनाम
1. मन्जू देवी पत्नी लालू धाकड़ निवासी  
बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया
  2. ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं. सं  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव  
ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं.सं  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
  3. ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं.सं  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच  
ग्राम पंचायत बिजौलिया खुर्द पं. सं  
माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत अधिनियम 1994 आदेश पट्टा  
16/07/2006 निरस्त करवाने बाबत

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राधेश्याम धाकड़ अधिवक्ता – प्रार्थी गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 03.04.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती  
राज अधिनियम में गैर निगराकारान्न के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर  
निगराकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा एक भूखण्ड नपती 30  
बाई 30 फीट का आबादी क्षेत्र माताजी के पास, बिजौलिया खुर्द तहसील बिजौलिया  
जिसके पडौस पूर्व में मोती लाल मीणा, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में शम्भू लाल, लालूराम  
पुत्र कजोड़, दक्षिण में रास्ता का जारी किया गया, जो विधि विरुद्ध है। उक्त जिस जगह  
का गैर निगराकार संख्या 01 एक को पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर  
निगराकार का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व  
निगराकार द्वारा भी ग्राम पंचायत में पट्टा हेतु आवेदन किया गया, लेकिन आज दिन  
तक पट्टा जारी नहीं किया गया व गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा दिनांक  
10/03/2017 को मुझ निगराकार को आबादी माता देवी रास्ता पर अतिक्रमण को  
हटाने हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर निगराकार द्वारा उक्त पुश्तैनी होने बाबत जवाब  
दिया गया व आज भी निगराकार का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है।  
गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया, जिसकी विधिवत न तो मिसल  
कायम की गई व न ही पट्टे में संकल्प संख्या उपर तो दिनांक 05/07/06 व नीचे  
15/07/06 अंकित है व पट्टा 16/07/2006 को जारी करना बताया गया है, जिससे  
स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलीभगती कर फर्जी  
पट्टा प्राप्त किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से आपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि पर  
निगराकार काबिज है व हाल ही में गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा जबरन मौके पर  
कब्जा करने की माह जनवरी 2019 में कोशिश की व पट्टा जारी होने की बात कही,



निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायतीराज नियम 142 से 153 की विधिवत पालना नहीं की हैं। पट्टे की पुस्त पर रसीद संख्या 45 दिनांक 24/08/2006 के रकम 4500/- रुपये जमा होना बताया गया, जबकि पट्टा दिनांक 16/07/2006 को ही जारी कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि बिना रकम जमा हुए ही पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में निगरानी की चरण संख्या 01 एक में वर्णित नपती व पडौसो के मध्य के भूखण्ड का जारी किया गया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार संख्या 01 को दिनांक 16.7.2006 को विधिवत् आदेशित पट्टा जारी किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु निगराकार द्वारा 12 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् यह निगरानी पेश की जो पोषणीय नहीं होकर मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 2.2.2019 को निगराकार व कैलाश चन्द्र बलाई व अन्य के विरुद्ध सिविल न्यायालय, बिजौलिया में वादपन्न बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का पेश किया। निगराकार व कैलाश चन्द्र बलाई द्वारा अपने उपरोक्त कृत्यों से व उक्त एफआईआर व वाद की कार्यवाही से बचने की गरज से पश्चातवृत्ति सोच के आधार पर उक्त निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश की जो निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। उसके परिवार के लोगों ने दिनांक 29.12.14 को जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र तादादी 1,00,000/- रुपये में विक्रय कर विक्रयपत्र विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 उक्त जायदाद नपति 30 फिट बाई 30 फिट पर सन् 2006 के पूर्व से निरन्तर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। जिसकी जानकारी भी निगराकार व कैलाश चन्द्र बलाई को प्रारंभ से ही है। निगरानी के पैरा संख्या 5 में निगराकार कथन करता है कि "पत्रावली नहीं होने से केवल पट्टा ही दिया गया" साथ ही इस पैरा संख्या 6 में "पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तो उस पर कहीं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है" अंकित करता है, इस प्रकार उक्त दोनों कथनों में भारी विरोधाभास है। एकतरफ तो पत्रावली नहीं होने बाबत् तो दूसरी ओर पत्रावली का अवलोकन करने की बात कहता है एवं जो पट्टा पेश किया उसमें सचिव घीसा लाल जी व सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उक्त पट्टा विलेख को निगराकार ने स्वयं ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अब यह न्यायालय का देखने का विषय है कि पट्टे पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर है अथवा नहीं। इस प्रकार निगराकार ने निगरानी मोगम व बिना किसी आधार के जवाबदार को तंग परेशान करने की गरज से व उसको पट्टाशुदा जायदाद से बेदखल करने की गरज से पेश की गयी है जो खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 की भूमि पर रास्ता नहीं है। रास्ते पर तो निगराकार ने अतिक्रमण करने की कोशिश की जिस बाबत् ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निगराकार को रास्ते से अतिक्रमण हटा लेने बाबत् नोटिस भी जारी किया, निगराकार का कोई कब्जा नहीं है ना ही निगराकार का रास्ता है। विपक्षी संख्या 01 ने निगराकार व सूरजमल मीणा के विरुद्ध उक्त जायदाद से विपक्षी संख्या 01 को बेदखल नहीं कर इस आशय का वाद बाबत्

